राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक शिक्षा में सुधार हेतु उपाय
एक प्रयास

गौरव सिंह*
प्रवीण कुमार तिवारी**

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में प्रत्येक स्तर की अध्यापक शिक्षा को उच्च शिक्षा के अंतर्गत रखना एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत में अध्यापक की उपलब्धता और उसका गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण चुनौतीपूर्ण क्षेत्र रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, अध्यापक शिक्षा में वर्तमान से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों और उनके सार्थक उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई है। नीति के इन्हीं उपायों को क्रियान्वित करने में अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी तथा इसके लिए अध्यापक शिक्षा में समग्रतापूर्ण परिवर्तन करने होंगे। इस लेख में अध्यापक शिक्षा में सुधार हेतु कुछ उपायों की चर्चा की गई है, जिससे भारत के भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अध्यापक तैयार किए जा सकेंगे।

एक लंबे इंतज़ार के बाद देश के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जिसके विविध पहलुओं में एक महत्वपूर्ण पहलू, अध्यापक और अध्यापक-शिक्षा है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में जहाँ अध्यापक से जुड़े पंचम अध्याय को विद्यालयी शिक्षा के खंड में रखा गया है, वहीं अध्यापक शिक्षा को उच्च शिक्षा खंड के पंद्रहवें अध्याय में रखा गया है। भले ही देखने में प्रथम दृष्टया ये थोड़ा अलग हो सकता है, परंतु पहली बार पूरी तरह से प्रत्येक स्तर की अध्यापक शिक्षा को उच्च शिक्षा के अंतर्गत रखना एक महत्वपूर्ण पहल है।

भारत में अध्यापक की उपलब्धता और उसका गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण चुनौतीपूर्ण क्षेत्र रहे हैं। *शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009* के ये दो लक्ष्य आज भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्तमान की प्रमुख समस्याओं और चुनौतियों, जैसे— बहुत कम संस्थाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अध्यापकों की नियुक्ति होना, निजी स्वामित्व वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों की खराब गुणवत्ता (जो बहुतायत में हैं), विद्यालयों में अत्यधिक रिक्तियाँ और अधिक विद्यार्थी-अध्यापक अनुपात, स्थानीय भाषा बोलने और पढ़ाने वाले अध्यापकों की कमी, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं और संसाधनों का अभाव, पेशेवर (वृत्तिक) विकास के अवसरों का अभाव तथा वेतन, पदोन्नति आदि से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कोई औपचारिक और पारदर्शक व्यवस्था न होना, की चर्चा की गई है। परंतु ये मुद्दे कोई नए नहीं

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, शिक्षा विद्यापीठ, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली 110 068
** *एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय, महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली (उत्तर प्रदेश) 243 001

हैं, पहले आ चुके शिक्षा आयोगों, शिक्षा नीतियों और समितियों ने भी इस तरह के मुद्दे रेखांकित किए थे। यह स्पष्टत: दर्शाता है कि मुद्दों के उल्लेख कर देने मात्र से समाधान नहीं निकलते और यही *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* का अनुपालन सुनिश्चित करने वाली संस्थाओं और सरकार की चुनौती है कि कैसे वे इन मुद्दों के सुझाए समाधानों को लागू कर पाती हैं। समाधान के रूप में जिस चार-वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को पूरे देश में लागू करने की बात कही जा रही है, उसकी अपनी बड़ी चुनौतियाँ हैं। अध्यापक योग्यता परीक्षा को सुदृढ़ बनाना और सतत पेशेवर (वृत्तिक) विकास हेतु पाठ्यक्रम निर्माण भी लंबे समय से अपेक्षित कदम था। अध्यापकों को चुनाव संबंधी कार्यों, मध्याह्न-भोजन पकाने की देखभाल से विरत करना आदि स्वागत योग्य कदम हैं। परंतु इसके लिए सभी राज्य सरकारों को भी पहल करनी होगी।

सतत पेशेवर (वृत्तिक) विकास के लिए विद्यालय अध्यापकों या प्रधानाचार्यों को प्रतिवर्ष 50 घंटे का पाठ्यक्रम अनिवार्य करना एक सराहनीय पहल है, पर इसके लिए प्रशिक्षण केंद्रों, विशेष रूप से ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) का सुदृढ़ीकरण तथा साथ ही ऑनलाइन कोर्स, जैसे— मूक (MOOC) आधारित मॉड्यूलर कार्यक्रम निर्माण को प्रोत्साहन देना होगा; प्रत्येक विद्यालय तक सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के मूलभूत उपकरणों एवं ई-संसाधनों की पहुँच सुनिश्चित करनी होगी। इन कार्यक्रमों को पूरा करने वाले अध्यापकों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि आदि प्रकार के प्रोत्साहनों से जोड़ना होगा। केंद्र और राज्य स्तर पर अध्यापकों की नियुक्ति एक बड़ा मुद्दा रहा है। कई राज्यों ने तात्कालिक राजनैतिक और आर्थिक लाभ के लिए स्थानीय स्तर पर जो अप्रशिक्षित अध्यापकों की 'पैरा-अध्यापकों' के रूप में नियुक्ति की है, जिन्हें प्रशिक्षित करना या नियमित करना एक गंभीर चुनौती है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में ऐसी नियुक्तियों पर रोक लगाकर केवल स्थायी नियुक्तियों का सुझाव दिया गया है।

इस नीति में एक और महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है कि सभी विद्यालयों में विद्यार्थी-अध्यापक अनुपात कम से कम 1:30 सुनिश्चित किया जाए। परंतु इसका नुकसान सबसे अधिक ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों को उठाना पड़ रहा है, जहाँ विद्यार्थियों को नामांकन कम होने के कारण विद्यालय में 1 से 3 तक की संख्या में विद्यमान अध्यापक पाँचों कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिससे या तो दो या अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना पड़ता है या कई बार अध्यापक के अनुपस्थित होने पर कोई शिक्षण नहीं हो पाता है।

इस समस्या के समाधान हेतु अब विद्यार्थी-अध्यापक अनुपात (पी.टी.आर.) के स्थान पर विषय-अध्यापक अनुपात (एस.टी.आर.) या कक्षा-अध्यापक अनुपात (सी.टी.आर.) पर चिंतन करने की आवश्यकता है। कम से कम दो भाषाएँ, गणित और विज्ञान के अध्यापक की उपलब्धता प्रत्येक विद्यालय में सुनिश्चित की जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, इसे क्रियान्वित करने के लिए आकलन और समयबद्ध प्रक्रिया का निर्धारण करना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक शिक्षा से जुड़े मुद्दों की चर्चा अध्याय 5 और 15 में की गई है, जहाँ अध्याय 5 में चार वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने पर बल दिया गया है और 2030 तक इसे अध्यापक नियुक्ति की न्यूनतम शर्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वहीं स्नातक योग्यता रखने वाले योग्य उम्मीदवारों के लिए दो वर्षीय पाठ्यक्रम की बात भी कही गई है। यह सर्वविदित है कि अध्यापक शिक्षा की वर्तमान दशा का सबसे बड़ा दोषी यदि कोई है, तो वे नियामक संस्थाएँ हैं। न्यायाधीश वर्मा आयोग (2012) के अनुसार, 10,000 से अधिक एकल संस्थाओं ने अध्यापक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के स्थान पर ऊँचे दामों पर उपाधियाँ बेचने का काम किया है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* भी इसके लिए नियामक संस्थाओं की असफलता की ओर इंगित करती है, जिसमें कहा गया है कि, "इस दिशा में अब तक किए गए विनियामक प्रयास न तो भ्रष्टाचार रोक पाए हैं और न ही गुणवत्ता के मानक स्थापित कर पाए हैं। जिसका नकारात्मक प्रभाव इस क्षेत्र के उत्कृष्टता और नवाचारों पर पड़ा है।" (पृष्ठ संख्या 68)

अध्यापक शिक्षा को विश्वविद्यालय व्यवस्था का हिस्सा बनाना एक अच्छा लक्ष्य है और इसे प्राप्त किया जाना चाहिए; परंतु सभी बहु-विषयक महाविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा प्रारंभ करना और लगभग 10,000 महाविद्यालयों को बंद करना या उनमें अपेक्षित सुधार लाना एक गंभीर चुनौती है। भले ही *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के बिंदु 15.3 (पृष्ठ 68) में इसके लिए प्रावधानों को रखा गया है।

जहाँ तक चार वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का प्रश्न है, उसकी अवधारणा से आपत्तियाँ कम हैं। 1960 के दशक में यह प्रयोग पहले कुरुक्षेत्र में प्रारंभ हुआ (दिबाकर, 2016) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में इस पाठ्यक्रम की सफलता ने इसे पूरे देश में लागू करने के लिए प्रेरित किया है। अत: इस पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए व्यापक चिंतन और बहस की आवश्यकता है।

ऑनलाइन पाठ्यक्रम और मूक (MOOCs) पाठ्यक्रम निश्चित ही भविष्य में सेवाकालीन प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण आधार होंगे। जो अध्यापकों में नए-नए कौशलों के विकास में सहायक हो सकते हैं, परंतु इस दिशा में उचित चिंतन एवं दिशानिर्देश विकसित करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अवलोकन और अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर विचार करने के पश्चात् इस संदर्भ में निम्न सुझाव दिए गए हैं—

अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में सुधार

- हमारी पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों के बारे में जागरूकता लाने, उन पर अनुसंधान करने और उन्हें आधुनिक तकनीकों और प्रचलित प्रविधियों के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। वर्तमान में अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम पश्चिमी दर्शन (आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, मानवतावाद आदि) एवं शिक्षणशास्त्र (व्यवहारवाद, रचनावाद, ब्लूम का वर्गीकरण आदि) के प्रतिमानों और प्रविधियों से बहुत अधिक आच्छादित है।
- न केवल विद्यालयी शिक्षा में, वरन् अध्यापक शिक्षा में भी पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकों के

भारतीयकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए भारतीय शिक्षा के सत्व को विभिन्न स्तरों के अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में शामिल करना होगा।

- भारत में शिक्षा के इतिहास की सामग्री और पाठ्यक्रम के पुनरावलोकन की आवश्यकता है, क्योंकि यह पश्चिमी दुनिया से अत्यधिक प्रभावित है। पश्चिमी दर्शन को प्रसिद्धि प्रदान करने के लिए कुछ चयनित दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जबकि भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में तथ्यात्मक जानकारी का अभाव है।
- भारतीयता, भारतीय परंपरा, जीवन मूल्य आदि पाठ्यक्रम और प्रणालियों का अभिन्न अंग होना चाहिए।
- *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुसार, विद्यार्थियों को समय के साथ और विश्व की गति के साथ और सटीक ढंग से आगे ले जाने हेतु रचनात्मक सोच आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार के उच्च स्तरीय मानसिक संकायों का पोषण, भारत के पारंपरिक ज्ञान आधार, जैसे— वैदिक ज्ञान, विज्ञान, गणित आदि का शिक्षण-प्रशिक्षण, अध्यापक शिक्षा प्रणाली की सहायता से किया जा सकता है। साथ ही, वैदिक गणित से संबंधित विभिन्न जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेवा-पूर्व और सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के साथ नियोजित किए जाएँ।
- देश भर में चार साल के एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में कई समस्याएँ, मुद्दे और भ्रम हैं। यहाँ तक कि ऐसे कार्यक्रमों को संचालित करने वाले संस्थानों को नियामक या शैक्षणिक अथवा प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों (दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया, इंदिरा गाँधी जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक आदि) के विद्यार्थियों को विगत वर्षों में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इन चार-वर्षीय पाठ्यक्रमों में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, निकास-विकल्प और एकीकरण की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है।
- *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ़.)* और अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एन.सी.एफ़.टी.ई.) का निर्धारण करते समय, अध्यापक शिक्षा में बदलाव के बारे में अनुभव और साक्ष्य-आधारित आगत को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम और विद्यालयी शिक्षा पाठ्यक्रम के बीच सामंजस्य और समन्वय होना चाहिए।
- नए पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र में अनुभव आधारित शिक्षण, खेल एवं कला समेकित शिक्षण, खिलौना आधारित शिक्षण, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण, समस्या आधारित शिक्षण, खोज दृष्टिकोण, अंतरनिर्देश और अन्वेषण प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इक्कीसवीं सदी में शिक्षा का एक रचनात्मक प्रतिमान स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए जो विद्यार्थियों को वैश्विक नागरिक एवं उद्यमशील बनाने के अवसर प्रदान करें।
- *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में विद्यालयी शिक्षा के चार स्तरों (बुनियादी, तैयारी, मध्य और माध्यमिक) की अनुशंसा की गई। चारों स्तरों के लिए भिन्न प्रकार के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों

की आवश्यकता होगी और इन्हें प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थाएँ, उच्च शिक्षा का अंग होंगी। परंतु यदि कोई अध्यापक एक स्तर से दूसरे स्तर में पदोन्नति का प्रयास करे तो उसके लिए भी आवश्यक प्रशिक्षण के अवसर बनाने होंगे, जो सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के रूप में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थानों और ऑनलाइन के माध्यम से प्रदान किए जा सकते हैं।

- अध्यापक शिक्षा की एक विशिष्ट पहचान के साथ एक अलग संकाय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। बी.एड. का 'अध्यापक शिक्षा के स्नातक' (B.T.ED.) तथा एम.एड. का 'अध्यापक शिक्षा के परास्नातक' (M.T.ED.) के रूप में नाम बदला जाना चाहिए और अध्यापक-प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य आवश्यकता होनी चाहिए।

सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का समावेशन

- शिक्षा प्रणाली को मज़बूत करने, ज्ञान का प्रसार करने, सूचना तक पहुँच को सुगम बनाने, गुणवत्ता एवं प्रभावी शिक्षा को बढ़ावा देने तथा सेवाओं को और अधिक कुशलता से उपलब्ध कराने के लिए नवाचार एवं आईसीटी का दोहन किया जाना चाहिए। आईसीटी सामान्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु केवल उपकरण मात्र नहीं है; बल्कि यह बदलते शिक्षणशास्त्र के शक्तिशाली उपागम भी प्रदान करती है।
- ऑनलाइन शिक्षा को न केवल सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण और पेशेवर विकास के अवसर के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए, बल्कि सेवा-पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण के लिए भी मिश्रित तरीके से लागू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस हेतु नियामक बाधाओं और संस्थागत जड़ता को हटाने हेतु सुगम प्रयासों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थानों को मिश्रित तरीके से उच्च गुणवत्ता वाले अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए आगे आना चाहिए तथा साथ ही सेवारत अध्यापकों के पेशेवर विकास के लिए ऑनलाइन मोड में कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।
- पीएच.डी. के लिए पाठ्यक्रम को मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थानों या अध्यापक शिक्षा संस्थानों द्वारा ऑनलाइन और मिश्रित तरीके से विकसित किया जा सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षणशास्त्र के साथ इसके समावेशन के लिए भी तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए।
- दिव्यांग विद्यार्थियों को विशेषीकृत सहायक प्रौद्योगिकी प्रदान की जानी चाहिए और अध्यापकों को इसके प्रयोग का सार्थक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

नियामक या प्रशासनिक सुधार

- अध्यापक शिक्षा के लिए नियामक निकाय अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लगभग कमज़ोर रहा है। क्योंकि एक नियामक निकाय होने के बाद भी देश भर के मानकहीन अध्यापक शिक्षा संस्थानों की अनियंत्रित वृद्धि का इसने सदैव समर्थन किया है। इसे भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के अंतर्गत स्थापित होने वाले चार अंगों में एक सामान्य शिक्षा परिषद् (जी.ई.सी.) के मानक निर्धारक निकाय के रूप में पुनर्गठित किया जाना प्रस्तावित है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, पृष्ठ संख्या 76–77)। साथ ही अधिमानतः अध्यापक शिक्षा से जुड़े शिक्षाविदों को इस संस्था को चलाने और अकादमिक

उत्कृष्टता और मार्गदर्शन सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी दी जानी चाहिए।

- अध्यापक शिक्षा में सामंजस्य का अभाव अभूतपूर्व अंतराल को जन्म दे रहा है। इस तरह के अंतराल को समाप्त करते हुए अध्यापक शिक्षा और अन्य हितधारकों से संबंधित विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और सामंजस्य होना चाहिए।
- *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* ने शिक्षा प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन की अनुशंसा की है; अब पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा की औपचारिक संरचना का आधार होगी। इसलिए पूर्व-प्राथमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण को संरचित और मज़बूत बनाने की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा प्रणाली में पहले से ही बड़ी संख्या में आँगनबाड़ी या बालबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बाल-केंद्रित अध्यापक-प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, जिसे व्यापक प्रशिक्षण के लिए मौजूदा संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यबल के सेवा-पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण के लिए एक पाठ्यक्रम की रूपरेखा आवश्यक है।
- केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की ज़िम्मेदारी प्राथमिक विद्यालयों को दी गई है। बुनियादी ढाँचे और अध्यापक प्रशिक्षण पर उचित निवेश के साथ आँगनबाड़ी को प्रारंभिक विद्यालय के रूप में उन्नयन किया जा सकता है। इसके लिए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को पाठ्यक्रम निर्माण की ज़िम्मेदारी सौंपी है तथा इसके क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों के निकायों की है।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के अध्यापक प्रशिक्षण के लिए दो नियामक निकायों, एन.सी.टी.ई. और आर.सी.आई. द्वारा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को विनियमित करने के कारण नियमों में अनेक विसंगतियाँ हैं। इसमें नामकरण, मानदंड और संरचना आदि एकसमान नहीं हैं। प्रत्येक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की प्रकृति समावेशी होना आवश्यक है। विशिष्ट शिक्षा के लिए अलग से पाठ्यक्रमों के स्थान पर एक ही प्रकार के समावेशी अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम निर्मित होने चाहिए।
- स्व-वित्तपोषी संस्थानों को बंद करने वाला सुझाव एक व्यावहारिक विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि यह उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। बल्कि इसके स्थान पर गुणवत्ता मानकों को मज़बूत किया जाना चाहिए और उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

शैक्षणिक अभ्यास

- अध्यापक प्रअध्यापकों द्वारा विद्यार्थी-शिक्षकों के शिक्षण अभ्यास (इंटर्नशिप) की योजना, अवलोकन, निगरानी और आकलन जैसे प्रयासों को मज़बूत करने और पाठ्यक्रम में अधिक लचीलापन लाने की आवश्यकता है। अनुसंधान आधारित शिक्षण अनुभव प्रदान करने के प्रयासों की आवश्यकता है, जो नवाचार, रचनात्मकता, रिफ़्लेक्टिव चिंतन एवं उच्च गुणवत्ता वाले अध्यापकों का निर्माण करने में सहायक होगा। इंटर्नशिप कार्यक्रम में उद्यमिता कौशल, समुदाय आधारित सामाजिक सक्रियता के साथ सामुदायिक शिक्षण केंद्रों का समावेश होना आवश्यक है।

- अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में व्यवहार संबंधी पहलुओं पर अधिक ज़ोर देने की आवश्यकता है। शिक्षार्थियों को नैतिकता, मूल्यों और अपनी परंपरा पर गर्व के साथ-साथ अपेक्षित व्यवहार सीखने की आवश्यकता है।
- अध्यापक शिक्षा में संस्कृत को अन्य भाषाओं के साथ अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में शामिल करना अनिवार्य होना चाहिए।
- 'अध्यापक के नेतृत्व वाली शिक्षा' से 'विद्यार्थी के नेतृत्व वाली शिक्षा' की ओर प्रयास करने की आवश्यकता है।

अनुसंधान और नवाचार

- अध्यापक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए, अध्यापक शिक्षा में संपूर्ण अनुसंधान प्रक्रिया को बदलने की आवश्यकता है। अनुसंधान में प्रयोगों पर अधिक प्रोत्साहन एवं स्वतंत्रता देने की आवश्यकता है। नवाचारी शिक्षा प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने, प्रयोग करने और सभी हितधारकों के अधिक लाभ के लिए इसके प्रचार एवं प्रसार करने की आवश्यकता है।
- सेवारत अध्यापक-प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल (ऑनलाइन या ऑफ़लाइन अथवा मिश्रित) विकसित करने के लिए मॉड्यूलर कार्यक्रम निर्माण में विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले संस्थानों, जैसे— इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिक संस्थान, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान आदि को कार्य सौंपा जा सकता है।
- कौशल उन्मुखीकरण या अभिक्षमता अभिवृद्धि के लिए लघु अवधि के पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और ऐसे पाठ्यक्रम, कार्यक्रम विशिष्ट या सेमेस्टर विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ पारंपरिक बंधन से मुक्त होने चाहिए।

संस्थागत या आधारभूत ढाँचे का सुदृढ़ीकरण

- निजीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ सार्वजनिक संस्थानों को भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए। सार्वजनिक संस्थानों में लंबे समय से लंबित भर्तियाँ तथा अवसंरचनात्मक विकास करने से एकसमान, गुणवत्तापूर्ण और मितव्ययी अध्यापक शिक्षा सुनिश्चित होगी।
- डाइट्स की स्थिति के बारे में भ्रम है, क्योंकि डाइट स्कूली शिक्षा के अंतर्गत आते हैं और एस.सी.ई.आर.टी. से संबद्ध हैं। उनका भविष्य क्या होगा? इस पर विचार और मंथन करने की आवश्यकता है। अगर उच्च शिक्षा के संस्थानों के रूप में डाइट को सेवाकालीन और सेवा-पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण के लिए मज़बूत और उन्नत बनाया जाए तो प्रारंभिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। साथ ही सार्वजनिक व्यय पर निर्मित इस विशाल बुनियादी ढाँचे का उपयोग सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा के लिए भी किया जा सकता है।
- प्रत्येक राज्य में एक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित करना अभी भी लंबित है, अभी केवल पाँच क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान ही रा.शै.अ.प्र.प. के अंतर्गत देश में कार्यरत हैं। इस तरह के सार्वजनिक वित्तपोषित संस्थान नवाचार, प्रयोग और अन्य अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए एक प्रतिमान (मॉडल) हो सकते हैं, क्योंकि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी बहु-विषयक योग्यता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

संदर्भ

दिबाकर, एस. 2016. *बैकग्राउंड ऑफ़ द स्टडी*. http://dspace.hmlibrary.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/1697/9/09_Chapter%202.pdf

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2012. *विजन ऑफ़ टीचर एजुकेशन इन इंडिया — क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, रिपार्ट ऑफ़ द हाई पावर्ड कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन कंस्टीट्यूटिड बाय द ओनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया*. भारत सरकार नयी दिल्ली, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/JVC%20Vol%201.pdf

———. 2019. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप*. भारत सरकार, नयी दिल्ली. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Draft_NEP_2019_EN_Revised.pdf

———. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति*. भारत सरकार, नयी दिल्ली. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf